




2025/447

निष्पत्ति

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

66.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सोहनलाल बनाम रामजीलाल आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 24/ वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 26.05.2025 को पेश हो। ए।	
26.5.2025	वकूलार फरिडेन उपखण्डा पुरीवली न्यायालय के जरिये वकील रामकेका कुमार उपखण्डा भाकर उपखण्डा भाकर द्वारा वाद पत्र पेश किया जिसे रजिस्ट्रार फरिडेन जिपा गीपा प्रजावली कावले स्टेट जज के कार्यालय तारीख 20.5.2025 को पेश हो। ए।	रामजीलाल रामकेका  रामकेका
28.5.2025	वकूलार फरिडेन उपखण्डा पुरीवली न्यायालय के जरिये वकील रामकेका कुमार उपखण्डा भाकर उपखण्डा भाकर द्वारा वाद पत्र पेश किया जिसे रजिस्ट्रार फरिडेन जिपा गीपा प्रजावली कावले स्टेट जज के कार्यालय तारीख 20.5.2025 को पेश हो। ए।	 रामकेका सीतूबाला मीनू
06.6.2025	वकूलार फरिडेन उपखण्डा पुरीवली न्यायालय के जरिये वकील रामकेका कुमार उपखण्डा भाकर उपखण्डा भाकर द्वारा वाद पत्र पेश किया जिसे रजिस्ट्रार फरिडेन जिपा गीपा प्रजावली कावले स्टेट जज के कार्यालय तारीख 20.5.2025 को पेश हो। ए।	 रामकेका रामकेका 